

## प्रारूप-छ (संलग्नक-6)

### अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (पूर्णता (कम्प्लीशन) अनापत्ति प्रमाणपत्र)

यूआईडी संख्या: UPFS/2021/33356/FIR/FIROZABAD/462/CFO

दिनांक: 01-07-2021

प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स **ST. JOHNS SCHOOL** (भवन/प्रतिष्ठान का नाम)पता **0,AGRA ROAD,FIROZABAD** तहसील - **FIROZABAD**, प्लॉट एरिया **20117.52 sq.mt** , कुल कवर्ड एरिया **5997.88** (वर्ग मीटर), ब्लॉकों की संख्या - **1** जिसमें

ब्लॉक/टावर	प्रत्येक ब्लॉक में तलों की संख्या	बेसमेन्ट की संख्या	ऊँचाई
ST JOHNS SCHOOL	3	0	10.98 mt.

है। भवन का अधिभोग मैसर्स **ST. JOHNS SCHOOL** द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं, एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित करायी गयी व्यवस्थाओं का निरीक्षण **अग्निशमन अधिकारी** द्वारा दिनांक **02-07-2021** को भवन स्वामी/भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री **SHAJI JOSEPH** के साथ किया गया। भवन में अधिस्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं मानकों के अनुसार अधिस्थापित पायी गयी। अतः प्रश्नगत भवन को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट) एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी **Educational** के अन्तर्गत वैधता तिथि **02-07-2021** से **01-07-2024** तक **3** वर्षों के लिए इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि भवन में नियमानुसार स्थापित सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं का अनुरक्षण करते हुए क्रियाशील बनाये रखा जायेगा। भवन में स्थापित की गयी अग्निशमन व्यवस्थाओं में पायी गयी कमी के कारण किसी भी घटना के लिए मेसर्स **ST. JOHNS SCHOOL** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें। निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयावधि के अन्दर न कराये जाने पर निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मेसर्स **ST. JOHNS SCHOOL** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें।

**Note :** आवेदक द्वारा स्कूल भवन में एनबीसी के अनुसार अग्निसुरक्षा व्यवस्थायें यथा हॉजरील, फायर हाइड्रेंट, डाउनकॉमर / वेटराइजर , फायर पंप आदि तथा आईएस-2190 के अनुसार फायर एक्सटिंग्यूशर अधिष्ठापित एवं कार्यशील कराये जाने पर सेन्ट जॉन्स सीनियर सेकेण्डरी स्कूल ब्लॉक हेतु इस शर्त के साथ एन0ओ0सी0 निर्गत की जा रही है कि भवन में निकास व्यवस्थाएं एनबीसी मानकों के अनुसार पूर्ण एवं अवरोधमुक्त रखा जाये । भवन स्वामी प्रत्येक 03 माह में किसी प्रशिक्षित एजेन्सी / स्नातक अग्निशमन अभियंता से भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं की कार्यशीलता चैक कराकर माँकड्रिल एवं वार्षिक फायर ऑडिट कराते हुये कार्यशीलता प्रमाण पत्र एवं फायर ऑडिट रिपोर्ट प्राप्त कर विभाग को प्रेषित करेंगे ।

**"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों , सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है । इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा । यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है ।"**

हस्ताक्षर (निर्गमन अधिकारी)

(मुख्य अग्निशमन अधिकारी)



Digitally Signed By  
(Jasveer Singh)

निर्गत किये जाने का दिनांक : 02-07-2021

स्थान : FIROZABAD

[7F44EA0B61F2CDA5D2E3F839C2E14A3E7C42D4D5]

02-07-2021